के. गुणवती.

बनाम

वी. संगीत कुमार एवं अन्य।

(सिविल अपील संख्या 3342/2014)

7 मार्च 2014

(पी. सदाशिवम, सीजेआईए, रंजन गोगोई और एन.वी. रमना. जे.जे.)

सेवा कानूनः चयन-नियुक्ति कम्प्यूटर प्रशिक्षक-रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर पद भरना एक बार का उपाय-माना गया। रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर कंप्यूटर प्रशिक्षकों की 175 मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्पष्टीकरण आदेश में उच्च न्यायालय का निर्देश एक सचेत निर्णय था, जो कानून में स्थापित स्थिति से हटकर कि सार्वजनिक सेवा में भर्ती, आम तौर पर, खुले विज्ञापन के माध्यम से होनी चाहिए और रोजगार कार्यालय के माध्यम से अधियाचनाएं अधिक से अधिक पूरक हो सकती हैं-विशिष्ट तथ्यों में बाध्यकारी आवश्यकताओं के कारण ऐसा अपवाद आवश्यक महसूस किया गया था। मौजूदा या भविष्य की अन्य सभी रिक्तियों के लिए, राज्य ऐसी नीति का पालन कर सकता है जो लागू हो या उचित समझी जाए।

वर्ष 1999 में, तमिलनाडु सरकार ने कंप्यूटर विज्ञान को वैकल्पिक

विषय के रूप में राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पेश करने का नीतिगत निर्णय लिया। उक्त नीति को प्रभावी बनाने के लिए, राज्य सरकार ने न केवल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बल्कि कक्षाओं के संचालन के लिए मानव शक्ति भी प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) को पांच साल का अनुबंध दिया। इसलिए, ईएलसीओटी ने पहले चरण (1999) में 1332 और दूसरे चरण (2000) में 1062 कंप्यूटर प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। इस तरह की नियुक्तियां अलग अलग राेजगार एजेंसियाेंं के माध्यम से की गई। फरवरी, 2005 में ईएलसीओटी के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने एक जी.ओ. एमएस संख्या 187 दिनांक 4-10-2006 द्वारा राज्य सरकार के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर प्रशिक्षक का एक पद सृजित करने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया। उक्त पदों के लिए ईएलसीओटी द्वारा नियुक्त कंप्यूटर प्रशिक्षकों की सेवाओं को शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्त पर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। चयनित होने में न्यूनतम अंक 50% निर्धारित किया गया था। उक्त निर्णय में अंतर्निहित ऐसे कंप्यूटर प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता, अर्थात् बी.एड., जो डिग्री उनके पास नहीं थी, में छूट देना था। उक्त आदेश को बी.एड. रिट याचिकाओं के एक बैच द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने 22-08-2008 को राज्य की अपील स्वीकार कर ली। इस रुख को

स्वीकार करते हुए कि बी.एड. डिग्री की पात्रता आवश्यकता को माफ करके सेवारत कंप्यूटर अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, एक बार के लिए अपवाद थी और भविष्य की सभी भर्तियाँ बी.एड. वाले पात्र उम्मीदवारों से की जाएंगी, योग्यता रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर, मौजूदा कंप्यूटर प्रशिक्षकों को कोई प्राथमिकता दिए बिना। डिवीजन बेंच के उक्त आदेश को बीएड योग्य शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। कोर्ट ने 13-10-2008 को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश इस आशय का पारित किया कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश दिनांक 22-08-2008 के अनुसार कंप्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति अपील के परिणाम के अधीन होगी। भर्ती परीक्षा दिनांकित 12-10-2008 को आयोजित की गई थी। हालाँकि, सरकार के इस निर्णय के विपरीत कि केवल 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का ही चयन किया जाएगा, प्रकाशित परिणाम में 1686 उम्मीदवारों को चयनित दिखाया गया था, जिनमें से केवल 894 ने 50% या अधिक अंक प्राप्त किए थे, जबकि शेष 792 अभ्यर्थियों ने 30% से 50% अंक के बीच हासिल किये थे, जो कहा गया है, उसके आधार पर चयन के बाद सरकार कुल 1683 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ी। शेष 197 पदों में से जो रिक्त रह गये (1880-1683=197) 22 पद सम्मिलित थे। उच्च न्यायालय के विभिन्न अंतरिम आदेशों द्वारा रिक्तियों की वास्तविक संख्या 175 छोड़ दी गई। दिनांक 09-07-2009 के आदेश द्वारा, सिविल अपील का निपटारा यह

मानते हुए किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-08-2008 के अनुसरण में 12-10-2008 को आयोजित विशेष भर्ती परीक्षा, एक बार का अपवाद होने और सहानुभूतिपूर्ण आधार पर निर्धारित होने के कारण, जहां तक कि लंबे समय से काम कर रहे तदर्थ कंप्यूटर प्रशिक्षकों का संबंध था, उचित था। लेकिन न्यूनतम अंकों को कम करने और 50% से कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों के चयन के सरकार के निर्णय,कार्रवाई को मनमाना माना गया और परिणामस्वरूप इसे मंजूरी नहीं दी गई। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक और भर्ती परीक्षा आयोजित करने की अनुमति बी.एड. डिग्री पर जोर दिए बिना दे दी। उन असफल उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने 35% से अधिक लेकिन 50% से कम अंक प्राप्त किए थे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि उपरोक्त भर्ती परीक्षा फिर से एक बार अपवाद होगी एवं रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने की अनुमति देने के अलावा एक विज्ञापन जारी करके भी ऐसा किया जाएगा। दिनांक 09-07-2009 के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई आवेदन दायर किये गये। न्यायालय ने दिनांक 19-11-2009 के आदेश द्वारा उक्त आदेश को स्पष्ट कर, जिसमें कि राज्य सरकार को रोजगार कार्यालय के साथ वरिष्ठता के आधार पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद के लिए मौजूदा 175 रिक्तियों और भविष्य की रिक्तियों के लिए व्यावसायिक कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती करने की अनुमति दी गई व राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के साथ.साथ

कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए सरकारी आदेश लागू किये।

आदेश दिनांक 9-7-2009 के अनुसरण में स्पष्टीकरण आदेश को साथ पढ़ते हुए दिनांक 19-11-2009, दूसरी भर्ती परीक्षा 24-01-2010 को आयोजित की गई। हालाँकि, उक्त परीक्षा केवल उन कंप्यूटर प्रशिक्षकों तक ही सीमित थी, जिन्होंने पहली भर्ती परीक्षा में 35.50% अंक हासिल किए थे, यानी 'असफल उम्मीदवार' हालांकि दिनांक 9-7-2009 के आदेश के अनुसार उम्मीदवारों की तीन श्रेणियां थीं, जो उक्त भर्ती परीक्षा में भाग लेने के हकदार थे यानी 'असफल उम्मीदवार', 'खुले बाजार के उम्मीदवार' और 'रोजगार विनिमय उम्मीदवार'। भर्ती परीक्षा को सीमित तरीके से आयोजित करने को भी किसी मंच के समक्ष चुनौती नहीं मिली। दूसरी भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए 792 उम्मीदवारों (असफल उम्मीदवारों) में से केवल 125 ने 50% और उससे अधिक अंक हासिल किए और 667 उम्मीदवार एक बार फिर असफल हो गए। उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका यह घोषणा के लिये दायर की गई थी कि उत्तर कुंजी में कुछ विसंगतियों के कारण दूसरी भर्ती परीक्षा रद्द घोषित की जाये। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। अपील पर, उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने नए सिरे से परीक्षा की प्रार्थना को खारिज करते हुए शिक्षक भर्ती बोर्ड को 20 दोषपूर्ण प्रश्न को हटाकर उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। किए गए उक्त अभ्यास के अनुसरण में, 667 असफल अभ्यर्थियों में

से केवल 15 ही उत्तीर्ण हुए, जिससे असफल अभ्यर्थियों की संख्या घटकर 652 हो गई। चूंकि उक्त असफल अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने के बजाय जारी रखने की अनुमति दी जा रही थी और चयन के रूप में ऐसी समाप्ति के परिणामस्वरूप परिणामी रिक्तियों पर काम नहीं किया जा रहा था, बी.एड. योग्य उम्मीदवारों ने अवज्ञा का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की और तर्क दिया कि रिक्तियों (652) को रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर भरना आवश्यक था। उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, 652 अभ्यर्थियों (दो बार अनुत्तीर्ण) की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। उक्त समाप्ति के खिलाफ, कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें सामान्य अंतरिम आदेश दिनांक 30-04-2013 को यह मानते हुए कि याचिकाआेंं को उनकी समाप्ति पर सवाल उठाने या नियमितीकरण की मांग करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब तक सरकार द्वारा चयन की नियमित प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाती, तब तक स्कूलों को शिक्षकों के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए जब तक नियमित भर्ती नहीं हो जाती, रिट याचिकाकर्ता बने रहेंगे, जैसा कि डिवीजन बेंच के आदेश दिनांक 20-12-2012 द्वारा निर्देशित किया गया था। सरकार नियमित भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाएगी, और भर्ती की विधि का निर्णय सरकार पर छोड़ दिया गया।

उक्त निर्देशों से क्षुब्ध होकर दोनों बी.एड. डिग्री धारकों और बर्खास्त

शिक्षकों ने रिट अपील दायर की। हटाए गए कंप्यूटर अनुदेशकों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं की सुनवाई रिट अपीलों के साथ की गई। ऐसे सभी मामलों का निपटारा आक्षेपित सामान्य आदेश दिनांक 18-09-2003 द्वारा किया गया। तात्कालिक उक्त सामान्य आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए अपीलें दायर की गईं, विशेष रूप से पैरा 53 के निर्देश (vi) और (vii) जिसमें कहा गया है कि सरकार कंप्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति करते समय शिक्षकों की भर्ती की वर्तमान नीति का पालन करेगी। जैसे शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती और रिट याचिकाकर्ता अपीलकर्ता शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य लोगों के साथ आवेदन करने के पात्र थे और रिट याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की वरीयता के हकदार नहीं हैं। हालाँकि, वे भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आयु में छूट के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र थे और आयु में छूट के अनुरोध, यदि कोई हो, पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया: 'रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर कंप्यूटर प्रशिक्षकों की 175 मौजूदा रिक्तियों और भविष्य की रिक्तियों को भरने का निर्देश देने वाला दिनांक 19-11-2009 का आदेश कानून में लगभग तय स्थिति कि सार्वजनिक सेवा में भर्ती, आम तौर पर, खुले विज्ञापन के माध्यम से होनी चाहिए और रोजगार कार्यालय के माध्यम से मांगें अधिक से अधिक पूरक हो सकती हैं,

से हटकर लिया गया एक सचेत निर्णय था। मामले के विशिष्ट तथ्यों द्वारा निर्धारित बाध्यकारी आवश्यकताओं के कारण इस तरह का प्रस्थान आवश्यक महसूस किया गया था। उस पर समय की दृष्टि से, 1880 उपलब्ध पदों में से 1683 पद पहले से ही तदर्थ और कम योग्यता वाले कंप्यूटर अनुदेशकों द्वारा भरे जा चुके थे, केवल 175 रिक्तियां रह गई थीं और अज्ञात संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां थीं, जो परिणाम पर निर्भर थीं। इस न्यायालय द्वारा एक बार के उपाय के रूप में दूसरी भर्ती परीक्षा का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा आदेशित दोनों भर्ती परीक्षाएं केवल तदर्थ और अयोग्य व्यक्तियों के लिए थीं, जिससे अपीलकर्ताओं जैसे बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार बाहर हो गए। विचार का क्षेत्र है कि यदि शेष नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं, तो असफल शिक्षकों पर 'प्रतिकूल' प्रभाव की सीमा क्या होगी, इस स्तर पर किसी भी हद तक सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति थे एवं इस बीच और सद्गुण से योग्य आक्षेपित आदेश के पैरा 53 के खंड (v), असफल कंप्यूटर प्रशिक्षकों के नाम जो पहले रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे, उन्हें फिर से दर्ज करने और उनकी पूर्व वरिष्ठता बहाल करने का निर्देश दिया गया है। जबिक, यह भी सही है कि रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर भर्ती का आदेश देने से अन्य योग्य उम्मीदवार जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते थे, वे वंचित रह जाएंगे, लेकिन इस अदालत के समक्ष ऐसा

कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, जो अदालत को इस बात के लिए राजी कर सके कि कंप्यूटर अनुदेशकों के 652 पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए इस न्यायालय का 19-11-2009 का पिछला आदेश प्रभावी नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय के दिनांक 18-09-2013 के आक्षेपित आदेश के निर्देश (vi) और (vii) को अलग रखा जाता है और 652 रिक्त पदों पर भर्ती रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त दिशा 175 मौजूदा रिक्तियों को भी नियंत्रित करेगी, जो इस न्यायालय के दिनांक 19-11-2009 के आदेश द्वारा सम्मिलित है, यदि इस दिनांक को भी रिक्त रहता है। अन्य सभी रिक्तियों, मौजूदा या भविष्य, जैसी भी हो, के लिए राज्य ऐसी नीति का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो लागू हो या उचित समझी जाए। (पैरा 25, 26, 27) (415-डी-जी, 416-बी-बी)

उत्पाद शुल्क अधीक्षक मलकापट्टनम कृष्णा जिला, ए.पी. बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव और अन्य। (1996) 6 एससीसी 21: 1996 (5) पूरक। एससीआर 73; अरुण कुमार नायक बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2006) 8 एससीसी 111: 2006 (6) पूरक। एससीआर 404; उड़ीसा राज्य एवं अन्य. बनाम ममता मोहंती (2011) 3 एससीसी 436: 2011 (2) एससीआर 704- पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ:

1996 (5) पूरक, एससीआर 73 पर भरोसा किया पैरा 25

2006 (6) पूरक, एससीआर 404 पर भरोसा किया पैरा 25

2011 (2) एससीआर 704 पर भरोसा पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3342/2014

डब्ल्यूए नंबर 1307/2013 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18-09-2013 से।

साथ

सीए 2014 की संख्या 3344, 3345 और 3346

हेमा संपत, नलिनी चिदम्बरम, ए.के. गांगुली, सुब्रमोनियम प्रसाद, एएजीए जी शिवबालामुरुगन, संदीप कुमार, एल.के. पांडे, नम्रता सूद, वरुण सिंह, विकास मेहता, गीता कोविलन, आरण् प्रभाकरन, जी.एस. मणि, आर. सतीश, एम. योगेश कन्ना, तुषार बख्शी उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

रंजन गोगोई, जे.

1 अनुमति स्वीकृत।

2- स्पष्ट रूप से तदर्थ आधार पर नियुक्त अल्प योग्य कंप्यूटर प्रशिक्षकों और बी.एड. योग्य उम्मीदवार जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, उनमें से कई ने इस बीच अपेक्षित योग्यता यानी बी.एड. डिग्री हासिल कर ली है, के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। लेकिन

उनका दावा है कि वे लंबे समय से ऐसी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, एक बार फिर सामने आए हैं, हालांकि, एक अलग तरीके से। इन अपीलों में चुनौती दिनांक 18-09-2013 के आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में है, चुनौती के तहत सामान्य, विशेष रूप से, पैरा 53 में निहित निर्देश संख्या (vi) और (vii) के संबंध में है, आक्षेपित आदेश के आयामों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आक्षेपित आदेश का चुनौती पैरा 53 यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"53. निष्कर्ष का सारांश:-

(i) सरकार द्वारा असफल कम्प्यूटर अनुदेशकों की सेवाएँ समाप्त करने का निर्णय सही एवं उचित था;

(ii) असफल कंप्यूटर प्रशिक्षकों को नियमितीकरण प्रक्रिया के दूसरे दौर के समापन के बाद जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है;

(iii) रिट याचिकाकर्ताओं को नियमित भर्ती लंबित रहने तक अस्थायी रूप से भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है;

(iv) 2009 की सिविल अपील संख्या 4187 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्ष के मद्देनजर असफल कंप्यूटर प्रशिक्षक नियमितीकरण के लिए पात्र या हकदार नहीं हैं;

(v) असफल कम्प्यूटर अनुदेशकों (जिनके नाम पूर्व में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत थे) के नाम संबंधित रोजगार कार्यालय के रोजगार

रजिस्टर में पुनः दर्ज किये जायें तथा उनकी पूर्व वरिष्ठता भी बहाल की जाये;

(vi) सरकार कंप्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति करते समय शिक्षकों की भर्ती की वर्तमान नीति का पालन करेगी, जैसे भर्ती शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से;

(vii) रिट याचिकाकर्ता शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अन्य लोगों के साथ आवेदन करने के पात्र हैं। रिट याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की वरीयता के हकदार नहीं हैं।

हालाँकि, वे भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आयु में छूट के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं और आयु में छूट के अनुरोध, यदि कोई हो, पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

3- रोज़गार बनाए रखने या प्राप्त करने की चाहत रखने वाले दो युद्धरत समूहों के बीच बार.बार होने वाले विवाद के संदर्भ में इस न्यायालय को जटिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स को एक बार फिर से पार करने की आवश्यकता होगी, इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय के साथ साथ प्रत्येक चुनौती में इस न्यायालय द्वारा संबंधित तथ्यों का सिलसिलेवार वर्णन किया गया है। चूंकि, जब तक इन्हें यहां दोहराया नहीं जाएगा, मुद्दे स्पष्ट नहीं होंगे और इसलिए, अतीत की घटनाओं को एक बार फिर दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

4- वर्ष 1999 में किसी समय, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश करने का नीतिगत निर्णय लिया। उक्त नीति को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) को न केवल कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बल्कि कक्षाओं के संचालन के लिए मानव शक्ति भी प्रदान करने के लिए पांच साल का अनुबंध दिया। इसलिए ईएलसीओटी ने पहले चरण (1999) में 1332 और दूसरे चरण (2000) में 1062 कंप्यूटर प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। ऐसी नियुक्तियाँ विभिन्न रोजगार एजेंसियों के माध्यम से की गईं।

5- फरवरी, 2005 में ईएलसीओटी के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने जीओ एमएस नंबर 187 दिनांक 4-10-2006 द्वारा राज्य के प्रत्येक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (1880 स्कूल) में कंप्यूटर प्रशिक्षक का एक पद रुपये 5500-175-9000/- के वेतनमान में सृजित करने के अपने निर्णय को अधिसूचित किया। उक्त पदों के लिए ईएलसीओटी द्वारा नियुक्त कंप्यूटर प्रशिक्षकों की सेवाओं को शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्त पर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। चयनित होने के लिए न्यूनतम अंक 50% निर्धारित किये गये थे। उक्त निर्णय में अंतर्निहित ऐसे कंप्यूटर प्रशिक्षकों के

लिए शैक्षिक योग्यताए, अर्थात् बी.एड. में छूट देना था, जो डिग्री उनके पास नहीं थी। उक्त आदेश को बी.एड. डिग्री धारकों द्वारा रिट याचिकाओं के एक बैच ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, डिग्री धारकों को दिनांक 13-03-2007 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। डिवीजन बेंच (रिट अपील संख्या 1215/2007) के समक्ष रिट अपील में, राज्य सरकार ने यह रुख अपनाया कि बी.एड. की पात्रता आवश्यकता को माफ करके कंप्यूटर प्रशिक्षकों की सेवा के लिए प्रस्तावित भर्ती परीक्षा, एक बार के लिए अपवाद थी और भविष्य की सभी भर्तियाँ बी.एड. वाले योग्य उम्मीदवारों से की जाएंगी, योग्यता, रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर, मौजूदा कंप्यूटर प्रशिक्षकों को कोई प्राथमिकता दिए बिना। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 22-08-2008 के आदेश द्वारा उपरोक्त शर्तों में रिट अपील की अनुमति दी।

6- डिवीजन बेंच के उक्त आदेश दिनांक 22-08-2008 को बी.एड. योग्य शिक्षकों द्वारा, 2009 की सिविल अपील संख्या 4187 (2008 एसएलपी (सी) संख्या 25097 से उत्पन्न) में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 13-10-2008 को नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश दिनांक 22-08-2008 के अनुसार कंप्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति अपील के परिणाम के अधीन होगी। भर्ती

परीक्षा 12-10-2008 को आयोजित की गई थी। हालाँकि, सरकार के निर्णय के विपरीत कि केवल 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, प्रकाशित परिणाम में 1686 उम्मीदवारों को चयनित दिखाया गया था, जिनमें से केवल 894 ने 50% या अधिक अंक प्राप्त किए थे जबकि शेष 792 उम्मीदवारों ने 35% से 50% के बीच अंक प्राप्त किए थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उपरोक्त चयन के आधार पर सरकार कुल 1683 उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ी। शेष 197 पद जो रिक्त रह गए (1880-1683=197) में से 22 पद उच्च न्यायालय के विभिन्न अंतरिम आदेशों द्वारा सम्मिलित किए गए थे, जिससे रिक्तियों की वास्तविक संख्या 175 रह गई। ऊपर उल्लिखित आंकड़े घटनाक्रम के आलोक में प्रासंगिक होंगे, बाद में ऐसा हुआ जिसे अलग से उल्लेखित किया जा रहा है।

7- यह तथ्य कि 12-10-2008 को आयोजित विशेष भर्ती परीक्षा में 35.50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन किया गया और उन्हें नियुक्त किया गया, 2009 की सिविल अपील संख्या 4187 में याचिका में इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया। दिनांक 09-07-2009 के आदेश में, उपरोक्त सिविल अपील का निपटारा यह कहते हुए किया गया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 22-08-2008 के आदेश के अनुसार 12-10-2008 को आयोजित विशेष भर्ती परीक्षा एक बार का अपवाद थी और तदर्थ कंप्यूटर प्रशिक्षकों के लिए, लंबे समय तक काम करने की चिंता जायज़ होने से

सहानुभूतिपूर्ण आधार पर निर्धारित थी, लेकिन, न्यूनतम अंकों को कम करने और 50% से कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों के चयन के सरकार के निर्णय, कार्रवाई को मनमाना माना गया और परिणामस्वरूप इसे मंजूरी नहीं दी गई। हालाँकि, इस न्यायालय ने उन उम्मीदवारों के लिए एक और भर्ती परीक्षा (बी.एड. डिग्री पर जोर दिए बिना) आयोजित करने की अनुमति दी, जिन्होंने 35% से अधिक लेकिन 50% से कम अंक प्राप्त किए थे (इसके बाद उन्हें 'असफल उम्मीदवार' कहा जाएगा)। यह भी स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त भर्ती परीक्षा फिर से एक बार अपवाद होगी और रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने की अनुमति देने के अलावा एक विज्ञापन जारी करके भी आयोजित की जाएगी। यह भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09-07-2009 द्वारा 50% कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने के लिए स्पष्ट रूप से कोई निर्देश जारी नहीं किया था। हालाँकि, ऐसा निष्कर्ष अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष से निकलेगा कि न्यूनतम अंकों की कटौती मनमानी और अनुचित थी और तथ्य यह है कि ऐसे सभी असफल उम्मीदवारों को अन्य भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी।

8- दिनांक 09-07-2009 के आदेश के स्पष्टीकरण आदि के लिए कई आवेदन इस न्यायालय के समक्ष दायर किए गए। उक्त आवेदनों में से,

जहां तक वर्तमान निर्णय का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा दायर 2009 का आई.ए. नंबर 4 विशेष महत्व का होगा। इसलिए, उक्त आई.ए. में की गई प्रार्थना नीचे दी गई है।

"(अ) स्पष्ट करें और राज्य सरकार को उन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दें जिन्होंने परीक्षा में 35% से 49% अंक प्राप्त किए हैं और नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों के रूप में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के परिणाम घोषित किए हैं।

(ब) राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय के अनुसार रोजगार कार्यालय के साथ वरिष्ठता के आधार पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद के लिए मौजूदा रिक्तियों 175 और भविष्य की रिक्तियों के लिए व्यावसायिक कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती करने की अनुमति दें। जी.ओ.एम.एस. 290, स्कूल शिक्षा विभाग, दिनांक 06-12-2007 और जी.ओ.एम.एस. क्रमांक 66, स्कूल शिक्षा विभाग, दिनांक 02-03-2009;

(स) इस माननीय न्यायालय द्वारा 2009 के सीए नंबर 4187 में पारित निर्णय दिनांक 09-07-2009 के पैरा 10, 12 और 14 में आने वाले आंकड़ों को "857 को 894

और 829 को 792" के रूप में पढ़ा जाएष् के रूप में सुधारने का निर्देश दें।"

9- इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19-11-2009 के पैरा 11 में यह देखते हुए कि वह अपने पहले के आदेश दिनांक 09-07-2009 को बदलने या समीक्षा करने के इच्छुक नहीं है, हालांकि, राज्य सरकार को इसकी अनुमति देकर उक्त आदेश को स्पष्ट किया,

"(a) ....

(i) ....

(ii) राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के साथ.साथ नियुक्ति पर लागू सरकारी आदेशों के अनुसार रोजगार कार्यालय के साथ वरिष्ठता के आधार पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद के लिए मौजूदा 175 रिक्तियों और भविष्य की रिक्तियों के लिए व्यावसायिक कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर करें।

(b) ....

10- इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि 2009 के आईए संख्या 4 में प्रार्थना (बी) और दिनांक 19-11-2009 के आदेश में स्पष्टीकरण (a)(ii) तत्कालीन सरकारी नीति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी जीओ (एमएस) संख्या 290 दिनांक 06-12-2007 और जीओ (एमएस) संख्या 66 दिनांक 02-03-2009 के आलोक में किया गया था। उपरोक्त

जी.ओ. के तहत रोजगार कार्यालय में वरिष्ठता के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरा जाना था।

11- इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9-7-2009 के अनुसार, स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 19-11-2009 के साथ पठित, दूसरी भर्ती परीक्षा 24-01-2010 को आयोजित की गई थी। अज्ञात कारणों से, उक्त परीक्षा केवल उन कंप्यूटर प्रशिक्षकों तक ही सीमित थी, जिन्होंने पहली भर्ती परीक्षा में 35.50% अंक हासिल किए थे, यानी 'असफल उम्मीदवार', हालांकि इस न्यायालय के दिनांक 9-7-2009 के आदेश के संदर्भ में उम्मीदवारों की तीन श्रेणियां थीं जो उक्त भर्ती परीक्षा में भाग लेने के हकदार थे यानी'असफल उम्मीदवार', 'खुले बाजार के उम्मीदवार' और 'रोजगार विनिमय उम्मीदवार'। भर्ती परीक्षा को सीमित तरीके से आयोजित करने को भी किसी मंच के समक्ष चुनौती नहीं मिली। दूसरी भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए 792 उम्मीदवारों असफल उम्मीदवारों, में से केवल 125 ने 50% और उससे अधिक अंक हासिल किए और 667 उम्मीदवार एक बार फिर असफल हो गए। उत्तर कुंजी में कुछ विसंगतियों के कारण दूसरी भर्ती परीक्षा को अमान्य घोषित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका, डब्ल्यूपी नंबर 7567 ऑफ 2010 दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। दायर अपील (रिट अपील संख्या 837/2010) में, आदेश दिनांक 20-12-2012 द्वारा, उच्च न्यायालय की

अपीलीय पीठ ने नए सिरे से परीक्षा की प्रार्थना को खारिज करते हुए शिक्षक भर्ती बोर्ड को उम्मीदवारों की योग्यता का 20 त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को दूर कर पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था, उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसरण में, 667 असफल अभ्यर्थियों में से केवल 15 ही उत्तीर्ण हुए, जिससे असफल अभ्यर्थियों की संख्या घटकर 652 हो गई। चूंकि उपरोक्त असफल अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त करने के बजाय जारी रखने की अनुमति दी जा रही थी और चयन के रूप में ऐसी समाप्ति के परिणामस्वरूप परिणामी रिक्तियों के लिए बी.एड. नहीं किया जा रहा था। बी.एड. योग्य उम्मीदवारों ने अवज्ञा का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय (अवमानना याचिका संख्या 1270/2013) के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की और तर्क दिया कि रिक्तियों (652) को रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर भरने की आवश्यकता है। उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान 652 अभ्यर्थियों (दो बार अनुत्तीर्ण) की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। उपरोक्त समाप्ति के खिलाफ, कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें एक सामान्य अंतरिम आदेश दिनांक 30-04-2013 को यह कहते हुए पारित किया गया था कि :-

> "(i) याचिकाकर्ताओं को अपनी समाप्ति पर सवाल उठाने या नियमितीकरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब तक सरकार द्वारा चयन की नियमित

प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाती, तब तक स्कूलों को शिक्षकों के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए जब तक नियमित भर्ती नहीं हो जाती, रिट याचिकाकर्ता बने रहेंगे।

(ii) इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्देशानुसार, दिनांक 20-12-2012 के आदेश द्वारा, सरकार नियमित भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाएगी।

(iii) इस सवाल पर कि सरकार को भर्ती की कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, मैं इसे सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के विभिन्न निर्णयों के आलोक में निर्णय लेने के लिए सरकार पर छोड़ दूँगा।"

12- उपरोक्त निर्देशों से क्षुब्ध होकर दोनों बी.एड. डिग्री धारकों और बर्खास्त किए गए शिक्षकों ने रिट अपील दायर की थी, जिन्हें क्रमशः 2013 के W.A. नंबर 1307 और 2013 के W.A. 1088 और 1089 के रूप में क्रमांकित किया गया था। हटाए गए कंप्यूटर अनुदेशकों द्वारा दायर की गई सभी रिट याचिकाओं पर रिट अपील के साथ सुनवाई की गई। ऐसे सभी मामलों का निपटारा आक्षेपित सामान्य आदेश दिनांक 18-09-2003 द्वारा किया गया। यह पूर्वोक्त सामान्य आदेश की वैधता है, विशेष रूप से उसके पैरा 53 (ऊपर निकाले गए) में निहित निर्देश (vi) और (vii) जिस पर

वर्तमान अपीलों में प्रश्न उठाया गया गया है। तीन सिविल अपीलें (एसएलपी (सी) संख्या 36170/2013, 33677/2013 और 35624/2013 से उत्पन्न) बी.एड. द्वारा दायर की गई हैं, जबकि चौथी सिविल अपील (एसएलपी (सी) संख्या 5044/2014 से उत्पन्न) एक बर्खास्त शिक्षक द्वारा है जो बी.एड. डिग्रीधारक के साथ एक सामान्य आधार बनाना चाहता है, उक्त अपीलकर्ता ने इस बीच बी.एड. डिग्री प्राप्त कर ली थी।

13- आक्षेपित आदेश के पैरा 53 (vi) और (vii) में निहित निर्देशों को चुनौती इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19-11-2009 के आदेश द्वारा पैराग्राफ 11(a)(ii)(पहले से ही निकाला गया) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव की अपीलकर्ताओं की धारणा पर आधारित है, इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से, इस न्यायालय के समक्ष दायर 31-1-2014 के अपने जवाबी हलफनामे में राज्य द्वारा अपनाए गए रुख के आलोक में। उपरोक्त, हम संकेत कर सकते हैं, हमारे सामने आने वाले मामलों में निर्णय का दायरा है।

14- दिनांक 19-11-2009 के आदेश में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी भी तरह से दिनांक 09-07-2009 के पूर्व निर्णय को बदलने या समीक्षा करने के इच्छुक नहीं है। दिनांक 09-07-2009 का उपरोक्त आदेश उन रिक्तियों (175) से संबंधित नहीं था जो 2009 की सिविल अपील संख्या 4187 के लंबित रहने के दौरान 1880 में

से 1683 पदों को भरे जाने के बाद मौजूद थीं, न ही उक्त आदेश में किसी भी पद को भरने के तरीके के बारे में चर्चा की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा आदेशित विशेष भर्ती परीक्षा में असफल उम्मीदवारों में से किसी एक के फिर से असफल होने की स्थिति में भरने की आवश्यकता होगी, दिनांक 09-07-2009 के आदेश द्वारा एक समय का उपाय रहा था। यह इन परिस्थितियों में है कि तमिलनाडु राज्य द्वारा 16-09-2009 को संबंधित आई.ए. दायर किया गया था, जिसमें संबंधित जीओ, अर्थात् जीओ (एमएस) संख्या 290 दिनांक 06-12-2007 और संख्या 66 दिनांक 02-03-2009 शामिल थे, जो रिक्त पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने थे। आई.ए. के पैरा 7 में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि वर्तमान आवेदन के माध्यम से राज्य स्पष्टीकरण और निर्देश चाहता है कि उसे असफल उम्मीदवारों और शेष रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है, रोजगार कार्यालय में वरिष्ठता के अनुसार 175 अभ्यर्थियों को भर्ती की अनुमति दी जा सकती है। उपरोक्त के अलावाए 35% और 50% के बीच अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में परीक्षण समाप्त होने के बाद, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को विचार के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को भी रोजगार कार्यालय में वरिष्ठता क्रम में भरा जाकर अनुमति दी जाएगी। इस न्यायालय ने, दिनांक 19-11-2009 के आदेश के पैरा 11 (a) (ii) के तहत, राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय के अनुसार, रोजगार

कार्यालय के माध्यम से मौजूदा 175 रिक्तियों और भविष्य की रिक्तियों के लिए व्यावसायिक कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती करने की अनुमति दी। कंप्यूटर अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के साथ.साथ सरकारी आदेश भी लागू होते हैं।"

15- उपरोक्त स्पष्टीकरण दिनांक 19-11-2009 के आधार पर अपीलकर्ताओं का दावा है कि अब उपलब्ध 652 रिक्तियों को रोजगार कार्यालय में वरिष्ठता के आधार पर भरने की आवश्यकता है, न कि खुली भर्ती की प्रक्रिया से। उपरोक्त दावे को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश (पैराग्राफ 46) द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि सरकार की नीति जीओ (एमएस) संख्या 290 दिनांक 06-12-2007 और जीओ (एमएस) संख्या 66 दिनांक 02-03-2009 में निहित है, अब लागू नहीं है और सरकार एक अलग नीति अपनाने के लिए स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि आज की नीति में खुले बाजार के साथ.साथ रोजगार कार्यालय से आवेदन मंगाकर शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित करना है। आगे यह देखा गया है कि सेवारत कंप्यूटर प्रशिक्षक (असफल उम्मीदवार) शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऐसे नोटिस/विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के हकदार होंगे और अपनी आयु में छूट पाने के भी हकदार होंगे, जिसका दावा किया जाना है, योग्यता के आधार पर सख्ती से निर्णय लिया गया। हालाँकि, उच्च

न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवारत कंप्यूटर अनुदेशक किसी भी प्रकार की वरीयता के हकदार नहीं होंगे।

16- दिनांक 31-01-1994 (पैराग्राफ 17) के जवाबी हलफनामे में राज्य के रुख पर अब ध्यान दिया जा सकता है। राज्य द्वारा यह कहा गया है कि बच्चों का अधिकार और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) के लागू होने के बाद माध्यमिक ग्रेड और स्नातक शिक्षकों (बीटी सहायकों) (कक्षा I से VII) की शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती आयोजित की जा रही है। राज्य के अनुसार, जी.ओ. नम्बर 175 स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 18-11-2011 को "रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता का पालन करते हुए शिक्षकों की भर्ती की पूर्व पद्धति के बजाय लिखित परीक्षा और प्रमाण पत्र सत्यापन के माध्यम से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में स्नातकोत्तर सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया गया है।" आगे कहा गया है कि, चूंकि कंप्यूटर प्रशिक्षक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने सभी श्रेणियों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा शुरू की है। राज्य के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-09-2013 के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग का जीओ संख्या 296 दिनांक 04-12-2013 जारी कर शिक्षक भर्ती बोर्ड को कंप्यूटर अनुदेशकों के 652 पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने का निर्देश दिया गया है।

17- राज्य के दावे, जो ऊपर देखे गए हैं, याचिकाकर्ताओं द्वारा गंभीर रूप से विवादित हैं। 2013 की अवमानना याचिका संख्या 1270 में उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दायर दिनांक 12-8-2013 के हलफनामे और उक्त कार्यवाही में पारित उसी तिथि के आदेश का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि 12-08-2013 को भी इसे स्वीकार किया गया था राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि वह रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित भर्ती को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके अलावा उच्च न्यायालय ने राज्य को भर्ती प्रक्रिया के एक बड़े हिस्से को एक अवधि के भीतर शुरू करने और पूरा करने के लिए समय दो महिने की अवधि दी थी और उसके बाद, अदालत के समक्ष की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करें। यह बताया गया है कि दिनांक 12-8-2013 के आदेश के अनुसार, दिनांक 12-10-2013 की कार्रवाई रिपोर्ट दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि पूरे मामले की जांच महाधिवक्ता द्वारा की जा रही है और उनके विचारों की प्रतीक्षा है। यह दिनांक 18-9-2013 के आक्षेपित आदेश में दिए गए निर्देशों के बावजूद है। उपरोक्त के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता को छोड़कर भर्ती की किसी भी अन्य पद्धति को अपनाना उचित नहीं होगा और खुली/प्रतिस्पर्धी परीक्षा को निर्धारित करने वाले जीओ संख्या 296 दिनांक 04-12-2013 पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

18- याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि कंप्यूटर प्रशिक्षक शिक्षक नहीं हैं और इसलिए भले ही वर्तमान में खुली प्रतियोगिता द्वारा शिक्षकों की भर्ती की नीति प्रचलित है, लेकिन यह कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद पर लागू नहीं होगी। उपरोक्त तर्क को इस संबंध में तमिलनाडु राज्य द्वारा 2009 के सीए संख्या 4187 (2008 के एसएलपी (सी) संख्या 25097 से उत्पन्न) में अपने जवाबी हलफनामे में दिए गए कथनों के आधार पर मजबूत करने की मांग की गई है।

19- उपरोक्त मुद्दे यानी कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक नहीं हैं, उन्हें न्यायालय में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। न केवल उस संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें उपरोक्त कथन दिए गए थे, बल्कि समकालीन दुनिया में आवश्यक उच्च स्तर की कंप्यूटर दक्षता को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है।

20- अवमानना याचिका संख्या 1270/2013 में राज्य की ओर से दायर हलफनामे के साथ-साथ उक्त कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सम तारीख के आदेश से संकेत मिलता है कि राज्य ने 20-6-2013 के पूर्व एक हलफनामे में संकेत दिया था कि कंप्यूटर अनुदेशकों की 652 रिक्तियों को शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित करके भरना आवश्यक है। हालाँकि, 2-8-2013 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि ऐसी भर्तियों के लिए इस न्यायालय के 19-11-2009

के स्पष्टीकरण आदेश का पालन किया जाना चाहिए और राज्य को न्यायालय को सूचित करने में सक्षम बनाने के लिए मामले की तारीख 12-8-2013 तय की थी। इस न्यायालय के दिनांक 19-11-2009 के निर्देश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय।

21- तदनुसार, राज्य के शपथ पत्र दिनांक 12-8-2013 के पैरा 10 में यह कहा गया था,

> "यह प्रस्तुत किया गया है कि, उपरोक्त के मद्देनजर, जीओ (एमएस) नंबर 66, स्कूल शिक्षा में सरकारी आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से रोजगार विनिमय के साथ वरिष्ठता के आधार पर कंप्यूटर प्रशिक्षकों के पद पर 652 रिक्तियों को भरने के लिए विभाग, दिनांक 02-03-2009 और जीओ (एमएस) संख्या 332, स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 11-12-2009 के अनुसार, शिक्षक भर्ती बोर्ड को अधिसूचना के समय से परिणाम के प्रकाशन तक प्रक्रिया का पालन करके प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी समय की आवश्यकता है।
>
> इन परिस्थितियों में, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय उच्च न्यायालय इस उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए डब्ल्यू.ए. संख्या 837/2010 में

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय को 6 महीने के लिए और बढ़ाने की कृपा करे और इस प्रकार न्याय प्रदान करें।"

22- इसके बाद, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि राज्य रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है और दिनांक 12-08-2013 के आदेश द्वारा राज्य को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए दो महीने का समय दिया गया और उसके एक बड़े हिस्से को पूरा करें, उसके बाद, अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जानी थी, जैसा कि देखा गया है, 12-10-2013 को प्रस्तुत की गई थी।

23- इसलिए, अवमानना मामले संख्या 1270/2013 की कार्यवाही का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-8-2013 को आदेश देते समय यह विचार रखा था कि भर्ती रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए। यह राज्य के विपरीत रुख के बावजूद नहीं है। इसके बाद, मामलों के वर्तमान समूह में आदेश 18-9-2013 को पारित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करने से पहले, भर्ती की नीति में बदलाव और जीओ नंबर 290 दिनांक 6-12-2007 और जीओ नंबर 66 दिनांक 2-3-2009 की प्रभावशीलता के संबंध में राज्य के रुख पर फिर से विचार किया गया और दिए गए निर्देशों पर

विचार किया गया। भर्ती को रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पूरा करने के लिए आदेश जारी किए गए थे।

24- हालाँकि अवमानना मामला संख्या 1270/2013 और मामलों का वर्तमान समूह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों मामलों में उत्पन्न होने वाले विवाद की निकटता यानी कंप्यूटर प्रशिक्षकों की भर्ती के तरीके और तरीके को रेखांकित नहीं किया जा सकता है। कार्यवाही के दो सेटों में एक ही मुद्दे की अलग-अलग समझ प्रतीत होती है। न्यायिक दृष्टिकोण में बदलाव को उचित ठहराने के लिए आक्षेपित आदेश में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। दरअसल, 18-09-2013 के आदेश में अवमानना मामले में 12-8-2013 के आदेश का कोई संदर्भ नहीं है, इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि वह कौन सा बाध्यकारी कारण रहा होगा जिसकी वजह से न्यायालय को नीति के परिवर्तन के संबंध में राज्य के दावों पर पूरी तरह विचार करने के बाद दिनांक 12-8-2013 के अपने पहले के आदेश से हटना पड़ा। इसके अलावा, यदि राज्य के अनुसार भर्ती के तरीके और तरीके के संबंध में नीति में बदलाव हुआ है, तो जीओ संख्या 290 दिनांक 6-12-2007 और संख्या 66 दिनांक 2-3-2009 को रद्द कर दिया जाना चाहिए था। रद्द करने का न तो कोई सरकारी आदेश न्यायालय के समक्ष है और न ही ऐसा कोई बयान है कि ऐसा रद्द किया गया है। इस न्यायालय के

समक्ष दायर राज्य के दिनांक 21-01-2014 के जवाबी हलफनामे में हालांकि जी.ओ. नम्बर 175 दिनांक 18-12-2011 का उल्लेख है जिसमें उच्च माध्यमिक कक्षाओं में स्नातकोत्तर सहायक शिक्षकों की भर्ती पूर्व पद्धति रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के बजाय लिखित परीक्षा के माध्यम से करने का प्रावधान है, उक्त जीओ को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। भले ही उक्त जीओ संख्या 175 के आधार पर दावा किए गए तथ्यों को मान लिया जाए, फिर भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि शिक्षक भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/2013 दिनांक 8-5-2013 को क्यों जारी किया था और उसके खंड 9 में निर्दिष्ट किया था कि रिक्तियों को कवर किया गया है, उक्त विज्ञापन द्वारा राज्य स्तरीय रोजगार पंजीयन वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने हैं। संयोग से उक्त विज्ञापन में विभिन्न व्यावसायिक धाराओं में बड़ी संख्या में पद (लगभग 800) शामिल थे। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम खुद को यह विचार करने के लिए राजी नहीं कर पाए हैं कि 652 पदों पर भर्ती दिनांक 19-11-2009 के स्पष्टीकरण आदेश द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा की जानी चाहिए।

25- रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर कंप्यूटर अनुदेशकों की 175 मौजूदा रिक्तियों और भविष्य की रिक्तियों को भरने का निर्देश देने वाला दिनांक 19-11-2009 का आदेश कानून में लगभग तय स्थिति से हटकर लिया गया एक सचेत निर्णय था, जिसके तहत

सार्वजनिक सेवा में भर्ती की जाती है, आम तौर पर खुले विज्ञापन द्वारा होना चाहिए और रोजगार कार्यालय के माध्यम से मांगें अधिक से अधिक पूरक हो सकती हैं। (देखें उत्पाद शुल्क अधीक्षक मलकापट्टनम, कृष्णा जिला, एपी बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव और अन्य[1], अरुण कुमार नायक बनाम भारत संघ और अन्य[2] और उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम ममता मोहंती [3]। मामले के विशिष्ट तथ्यों द्वारा निर्धारित बाध्यकारी आवश्यकताओं के कारण इस तरह का प्रस्थान आवश्यक महसूस किया गया था। उस समय, 1880 उपलब्ध पदों में से 1683 पद पहले से ही तदर्थ और कम योग्यता वाले कंप्यूटर प्रशिक्षकों द्वारा भरे जा चुके थे, केवल 175 रिक्तियां बची थीं और अज्ञात संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां थीं जो दूसरी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर निर्भर थीं। इस न्यायालय द्वारा एक बार के उपाय के रूप में आदेश दिया गया।

1- (1996) 6 एससीसी 216

2- (2006) 8 एससीसी 111

3- (2011) 3 एससीसी 436

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा आदेशित दोनों भर्ती परीक्षाएँ केवल तदर्थ और अयोग्य व्यक्तियों के लिए थीं, जिससे याचिकाकर्ताओं जैसे बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार विचार के क्षेत्र से

बाहर हो गए।

26- यदि शेष नियुक्तियाँ रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो असफल शिक्षकों पर 'प्रतिकूल' प्रभाव की सीमा क्या होगी, इस स्तर पर किसी भी हद तक सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे बड़ी संख्या में इस बीच व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त कर ली थी और आक्षेपित आदेश के पैरा 53 के खंड (v) के आधार पर, असफल कंप्यूटर प्रशिक्षकों के नाम जो पहले रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे, उन्हें फिर से दर्ज करने और उनकी पिछली वरिष्ठता बहाल करने का निर्देश दिया गया है । हालाँकि यह भी सही है कि रोजगार कार्यालय की वरिष्ठता के आधार पर भर्ती का आदेश देने से अन्य पात्र अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते थे, वंचित रह जायेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति वर्तमान में हमारे सामने नहीं है जो हमें इस उद्देश्य के लिए यह विचार करने के लिए प्रेरित कर सके। कंप्यूटर अनुदेशकों के 652 पदों पर भर्ती के संबंध में इस न्यायालय के दिनांक 19-11-2009 के पूर्व आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

27- हम तदनुसार इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के दिनांक 18-09-2013 के आक्षेपित आदेश के पैरा 53 के निर्देशों (vi) और (vii) को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि 652 रिक्त पदों पर भर्ती वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं

कि उपरोक्त निर्देश इस न्यायालय के दिनांक 19-11-2009 के आदेश द्वारा सम्मिलित की गई 175 मौजूदा रिक्तियों को भी नियंत्रित करेगाए यदि वे आज भी रिक्त रहती हैं। अन्य सभी रिक्तियों, मौजूदा या भविष्य, जैसी भी हो, के लिए राज्य ऐसी नीति का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा जो लागू हो या उचित समझी जाए।

डी.जी.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रियंका पिलानिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।